न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– चन्द्र शेखर भण्डारी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–85 / 2017 रे0वाद

उनवान प्रकरण

1. शोभालाल पिता उगमलाल जी महाजन निवासी सोनियाणा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

वादी

बनाम

1. श्री प्रकाश पिता हस्तीमल जी महाजन निवासी सोनियाणा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. श्री प्यारागिरी पिता छोगागिरी जी गोस्वामी निवासी सोनियाणा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. श्री गणेश पिता ओमप्रकाश जी शर्मा निवासी सोनियाणा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा ।

विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–11.09.2017

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सोनियाना तहसील सहाडा में प्रार्थी कि खातेदारी अधिकार एंव कब्जे काश्त कि आराजी न0 2888 रकबा 0.13 एंव आराजी न0 4646 / 2890 रकबा 0.03 हे0 भुमी खाता संख्या 573 दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सोनियाना पटवार हल्का सोनियाना तहसील, सहाडा जिला भीलवाडा मे प्रार्थी कि खातेदारी कि है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 573 पर संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर करवाया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया किन्तु वह बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थिया को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की उक्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने में विपक्षी द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जाने बाबत् उसे कोई आपत्ति नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एंव कब्जे काश्त कि आराजी न0 2888 रकबा 0.13 एंव आराजी न0 4646 / 2890 रकबा 0.03 हे0 भुमी खाता संख्या 573 दर्ज रिकार्ड है भूमि की कब्जे को यथावत् रखते हुए बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते है। प्रार्थिया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 200 / – (दौ सौ रू मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 200 / – (दौ सौ रू मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्र शेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा